राजप्रमुख सवाई श्री मानसिंह
का उद्घाटन भाषण
31 मार्च, 1952

अध्यक्ष महोदय व माननीय सदस्यों,

राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले हमारी जनता के प्रतिनिधियों! आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज का अवसर राजस्थान के घटनापूर्ण और लम्बे इतिहास में अपूर्व और स्मरणीय है क्योंकि यहां से एक आशापूर्ण और नवीन युग में प्रवेश का श्रीगणेश होता है। इस विशाल राज्य के वीर पुत्रों की शूरता, निःस्वार्थ, देशभक्ति व अविचल साहस के महान् कार्य हमारे देश के इतिहास में अमर हो गए हैं जिनसे आने वाली सन्तानों को सतत प्रेरणा और गौरव प्राप्त होता रहेगा।

2. ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर यह स्वाभाविक ही है कि हम स्वतंत्रता संग्राम के उस महान् सेनानी व स्वतंत्र भारत के निर्माता स्वर्गीय पुण्य स्मृति सरदार वल्लभभाई पटेल का स्मरण करें जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता से भारत, को ऐसे ढंग से सुसंगठित किया जैसा कि इसके लम्बे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वृहद् राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च, 1949 को हुआ और 7 अप्रेल को राज्य-सत्ता नई सरकार ने संभाल ली। 26 जनवरी, 1950, को भारतीय जनता द्वारा अपनाये गये संविधान के फलस्वरूप यह राज्य, भारत के समस्त प्रभुत्व-सम्पन्न-प्रजातंत्रात्मक गणराज्य, का सब प्रकार से अभिन्न अंग बन गया।

3. पूर्व 'गवर्नरों के प्रान्तों', जिन्हें अब भाग 'क' के राज्य कहा जाता है, की भाँति राजस्थान के शिशु राज्य को अब तक अपने कार्य में पथ-प्रदर्शन के लिये विधान-मण्डल का लाभ प्राप्त नहीं था। अतः इस नवीन राज्य का राजप्रमुख होने के नाते संविधान द्वारा मुझे कुछ ऐसे विशेष उत्तरदायित्व व काम भी सौंप दिये गये थे जो सामान्यतया विधान-मण्डल द्वारा किये जाते। अतः अब यह उपयुक्त और उचित ही होगा कि मैं आपके सम्मुख जिनके ऊपर की अब वे उत्तरदायित्व व कर्त्तव्य आयेंगे, सरकार द्वारा उस अरसे में किये गये कार्यों का एक ब्यौरा रखूँ जिसमें कि राजप्रमुख को मंत्रिपरिषद् की सहायता व परामर्श से व्यवस्था व प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करने पड़ें।

4. परन्तु उक्त विवरण उपस्थित करने से पूर्व मैं इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करना चाहता हूँ कि राजस्थान में आम चुनाव बड़े ही संतोषजनक ढंग से हुए हैं। आप इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि कुल मिलाकर बालिग मताधिकार के आधार पर भारत में प्रथम बार किये जाने

वाले यह चुनाव ईमानदारी से, पक्षपात रहित होकर किये गये हैं तथा इस कार्य में इसके महान महत्त्व का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका श्रेय, साधारण जनता, जिसने निर्वाचन विधि को समझने में मार्के की क्षमता दिखलाई तथा कर्मचारियों, दोनों को है जिन्होंने इस महान प्रयोग में कुल मिला कर सर्वत्र कुशलता से व पक्षपात-रहित होकर निर्वाचन कानून का पालन किया।

5. अब मैं आपके सम्मुख अपनी सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यों व सफलताओं का एक संक्षिप्त विवरण उपस्थित करूँगा। इससे आपको उन नीतियों के आधार को समझने में भी सहायता मिलेगी जिनका हमारी सरकार आगामी वर्ष में पालन करने का विचार करती है।

6. राजस्थान बनते ही हमारे सम्मुख ऐसी विकट समस्यायें आईं जिनको अविलम्ब हल करने को आवश्यकता थी। इस ओर पहला कदम था राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के बीच राजनैतिक और आर्थिक रुकावटों को दूर करना तथा आधुनिक प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुकूल समानता लाने वाली विवेकपूर्ण प्रशासन इकाइयाँ बनाना। विभिन्न हाई कोर्ट ऑफ जूडीकेचरों, पब्लिक सर्विस कमिशनों, रेवेन्यू बोर्डों तथा अन्य संगठनों को समाप्त करना तथा उनका सम्मिलित आधार पर पुनर्निर्माण हमारी सरकार का सबसे प्रथम सफलता का कार्य था। इसके बाद आया, समान कानून बनाना, समान कर नियत करना तथा आर्थिक व राजस्व प्रशासन में समानता लाना। राज्य सेवाओं का एकीकरण ऐसा विषय था जिस पर सरकार ने बड़ी सावधानी व चिन्ता से विचार किया। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्यूडिशियल व पुलिस सर्विस जैसी सेवा की समान श्रेणियाँ भी बना दी गई हैं। एकीकरण के बाद पिछले तीन वर्षों में जैसा कि सेवाओं ने स्वयं प्रमाणित किया है, यह स्पष्ट है कि प्रशासन कार्य के लिये एक सुदृढ़ नींव डाल दी गई है। वे हमारी ओर से हितकामना के अधिकारी प्रमाणित हुए हैं और मैं आपको ऐसी नीति अपनाने का परामर्श देता हूँ जिससे कर्मचारियों को उनके कार्य सम्पादन में आपकी सहायता का विश्वास हो जाये। यह कार्य कभी भी सुगम नहीं है और कभी-कभी तो बड़ा ही कठिन प्रमाणित होता है।

7. इस समस्त काल में मेरी सरकार का एक प्रमुख कार्य जनता के लिये भोजन की व्यवस्था करना रहा है। मेरी सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं को नितान्त प्रमुखता दी जा रही है जिनसे भोजन के मामले में अन्ततोगत्वा हम स्वत: सम्पूर्ण हो जायें। कमियों को पूरा करने के लिये हम खाद्यान्नों के आयात की योजनाओं में भी भाग लेते रहे हैं। केवल पिछले दो वर्षों में ही सरकार द्वारा पैंसठ लाख से अधिक रुपया खाद्यान्नों पर सहायता के रूप में व्यय किया जा चुका है। नियंत्रणों और अन्न प्राप्ति का प्रबन्ध बड़े उत्साह के साथ किया गया है, यही कारण है कि आज यह प्रश्न इतनी अधिक चिन्ता का विषय नहीं रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग की जनता के लिये वस्तुओं के मूल्यों का अंतिम रुख उत्साहजनक रहा है और इस रुख को प्रकट करते हुए सरकार ने खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर से पहले ही प्रतिबन्ध हटा दिये हैं तथा खांड और कपड़े पर से भी राशन हटा दिया है यद्यपि मूल्यों के विषय में उन पर अब भी नियंत्रण है।

8. हमारी अधिकांश जनसंख्या का मुख्य धन्धा कृषि होने के कारण स्वाभाविक रूप से ही हमने कृषि कार्यों में सुधार की ओर काफी ध्यान दिया है। मशीनों द्वारा खेती करने, वैज्ञानिक खाद प्रयोग करने तथा सिंचाई के लिये शक्ति द्वारा पानी को ऊंचा उठाने को प्रोत्साहित करने का काम आरम्भ किया जा चुका है। पौधों व फसलों को टिड्डियों व अन्य कीड़ों से बचाने की वैज्ञानिक योजनाएं, गाँवों में अच्छी नस्ल के पशु बाँटकर पशुधन का सुधार, अधिक विस्तृत पशु चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, उदारता के साथ तकाबियों का वितरण तथा बड़ी संख्या में पाताल- तोड़ कुंओं व ट्यूब वैल्स का निर्माण कुछ ऐसे उपाय हैं जो मेरी सरकार ने कृषकों की सहायता के लिये अपनाये हैं। कृषकों को सब प्रकार के संभव साधनों द्वारा अधिक समृद्धिशाली बनाने में सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी।

9. राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रों के मानसून पर निर्भर होने के कारण पिछले वर्ष वर्षा का न होना हमारे लिये अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय था। बड़ी संख्या में पशु बाहर चले गये हैं जिसके कारण ग्रामीण जीवन में कुछ उथल-पुथल आ गई है। बहुत से भागों में भोजन और चारे की कमी है और यद्यपि परिस्थिति भयंकर दुर्भिक्ष की अवस्था को नहीं पहुँची फिर भी पर्याप्त सतर्कता के रूप में मेरी सरकार ने दुर्भिक्ष के भूत से टक्कर लेने के लिये एक अलग संगठन स्थापित कर दिया। यद्यपि हम अभी तक मुसीबत से पार नहीं हुये हैं फिर भी मेरे ख्याल से अनुचित आशावादिता के बिना मैं कह सकता हूँ कि हम उस मुसीबत से निकल गये हैं। जहां आवश्यकता अनुभव हुई वहां दुर्भिक्ष सहायता कार्य आरम्भ कर दिये गये थे।

10. राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में जो कुछ हम कर सके हैं उसकी ओर सन्तोष से दृष्टि डाल सकते हैं। जमींदार और किसान के बीच झगड़े के अवसरों को कम करने के उद्देश्य से किसानों की दशा सुधारने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कानून पास किया गया है। जिसके द्वारा गैर बन्दोबस्ती इलाकों में जिन्स में दिया जाने वाला लगान कुल उपज के एक चौथाई तक सीमित कर दिया गया है। एक अध्यादेश आसामियों के बेदखल किये जाने से संरक्षण के लिये भी पास किया गया था। राजस्थान की कुछ बड़ी रियासतों में मालगुजारी व काश्तकारी के अपने अलग-अलग कानून थे। अब समस्त राजस्थान के लिये एक काश्तकारी बिल और एक मालगुजारी बिल लाने का विचार है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की काश्तकारियाँ समाप्त हो जायेगी तथा हस्तांतरण (मुन्तकिली) सम्बन्धी समस्त अधिकारों का आश्वासन मिल जायेगा। क्षुद्र सिंचन कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये भी एक एक्ट बनाया गया था जिसके द्वारा सरकार को तालाबों, नहरों आदि की मरम्मत करने को बाध्य करने अथवा मालिक के खर्चे पर ऐसी मरम्मतें स्वयं करने की शक्ति दे दी गई थी। समस्त राजस्थान के लिये एक संघनित कोर्ट ऑफ वोर्डस् एक्ट भी पास कर दिया गया है। पैमायश और बन्दोबस्त का कार्य बड़े उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। कुछ समय में इस समस्त राज्य की ठीक तौर से पैमाइश हो चुकेगी और बन्दोबस्त पूरा हो जायगा तथा साथ ही अधिकार अभिलेख भी तैयार हो चुकेगा।

11. राजस्थान की भू-धारण पद्धति समाज के सामन्ती ढाँचे पर आधारित है। यहां की अधिकांश भूमि जागीरदारों के हाथ में थी जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के नियंत्रण व अधिकार काम में लाये जा रहे थे। 'राजस्थान भूमि सुधार व जागीरों के पुनर्ग्रहण का एक्ट, 1952', के पास हो जाने से स्थिति अब ऐसी नहीं रही है। विभिन्न दृष्टिकोणों का सफलता से समावेश करने के बहुत से प्रयत्नों के बाद एक्ट पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। एक्ट में क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की व्यवस्था के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी है जिससे भूस्वामियों और जागीरदारों के पास भी खेती के लिये काफी भूमि रह जायेगी। किसानों की दशा सुधारने के लिये इस एक्ट को कार्य में परिणत करने में सरकार समस्त प्रभावित हितों व अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी। साथ ही पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के संम्बन्ध में जागीरदारों के हितों की भी उपेक्षा नहीं की जायेगी।

12. अभी राज्य के विशाल वनों का नियन्त्रण करने के लिये कोई उपयुक्त कानून नहीं है। एक विस्तृत वन विधेयक आप लोगों के सम्मुख विचारार्थ आयेगा। इसी प्रकार समस्त राजस्थान के लिये समान कानून बनाने का एक 'सहकारी समितियाँ विधेयक' भी आपके सामने आने को है।

13. हमारी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या राजस्थान में न्याय और व्यवस्था की स्थिति की रही है। इन समस्याओं पर काफी ध्यान दिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार का प्रथम कार्य राज्य के पुलिस प्रशासन को एकीकृत व पुनर्संगठित करना था। सीमा पर सेना के स्थान पर काम करने के लिये हमने राजस्थान सशस्त्र सिपाही-दल नामक एक विशेष पुलिस दल बनाया है। इस नवीन दल ने अपनी कार्य कुशलता और साहस के द्वारा जनता की प्रशंसा प्राप्त कर ली है। न्याय और व्यवस्था के लिये उत्तरदायी दलों ने अपने कर्त्तव्यों के पालन में कुछ उठा नहीं रखा है और अपने कर्त्तव्य का पालन करने में अपने जीवन तक की परवाह नहीं की है। ऐसे उदाहरण देखने में आये हों जब हमारे पदाधिकारियों व व्यक्तियों ने साहस के साथ अपने कर्त्तव्यों का सम्पादन किया है। समस्त राजस्थान के अपराध सम्बन्धी 1951 व 1949 के तुलनात्मक आँकड़ों से पता चलता है कि अपराधों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। डाकुओं के साथ भिड़ने में पुलिस का एक अफसर व 39 आदमी काम आये। रियासती सेनाओं के भारतीय सेना में मिल जाने के बाद सेना राजस्थान के भीतर पुलिस का कार्य करने के लिये उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार वास्तव में कई महीनों तक अभाव की स्थिति बनी रही। पुलिस दल के एक बड़े भाग के पास पूरा सामान नहीं था, कर्मचारियों की कमी थी व उन्होंने शिक्षण भी प्राप्त नहीं किया था। उस अवस्था से पुलिस दल उन्नति की इस स्थिति को पहुँच गया कि हम उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र सिपाही दल की पाँच कम्पनियों को, जिन्हें हमने उनसे मांग रखा था, वापस कर सके। आज भी, यद्यपि शिक्षण तथा उसकी सुविधाओं में सुधार हो गया है, तथापि पुलिस की कुल शक्ति समान क्षेत्रफल और समान जनसंख्या वाले किसी अन्य राज्य की तुलना में कहीं कम है। इसके अतिरिक्त

राजस्थान में कुछ ऐसी विशेष प्रकार की समस्याएँ हैं जिनका शान्ति और व्यवस्था की स्थिति से सीधा सम्बन्ध है। राजस्थान के बहुत से विस्तृत भागों में गमनागमन के साधन या तो हैं ही नहीं या बहुत ही आदिम प्रकार के हैं। देश के एक अत्यन्त अहितकर क्षेत्र के सहारे-सहारे पाकिस्तान के साथ हमारी एक लम्बी सीमा भी है जहां पर पुलिस और गश्त का इतना घना प्रबन्ध करना प्रायः असम्भव है जितना कि कहीं और किया जा सकता है।

14. सरकार को न्याय और व्यवस्था बनाये रखने के अपने प्राथमिक कर्त्तव्य का पूर्ण ज्ञान है। वह अव्यवस्था को समाप्त करने व किसी भी मूल्य पर सुरक्षा स्थापित करने पर दृढ़ प्रतिज्ञ है क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार की प्रगति असंभव है। मुझे आशा है कि किन्हीं ऐसे उपायों में जो अव्यवस्था को समाप्त कर देने के लिये आवश्यक समझे जायें मेरी सरकार को सब ओर से पूर्ण और अबाध सहायता प्राप्त होती रहेगी।

15. राष्ट्र निर्माण कार्य के क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक कठिनाई के कारण हमारा भावी कार्यक्रम आवश्यक रूप से सीमित है। शीघ्र ही आपके समक्ष बजट प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा जन-स्वास्थ्य एवं प्रभावशाली स्थानीय प्रशासन को प्रोत्साहित करना - उनमें दो में से कुछ हैं जिनका सर्वदा विशेष ध्यान रहा है और रहेगा। राज्य की शैक्षिक नीति का प्रधान लक्ष्य अधिकतम संख्या में अधिक सरलता एवं अल्प मूल्य में शिक्षा का प्रसार करना रहा है .. जहां विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य में विशाल कदम उठाये गये हैं वहां अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं उत्साहजनक लक्ष्य प्रारम्भिक शिक्षा का और भी अधिक प्रसार करना रहा है। यह वैसा ही है जैसा कि होना चाहिये, क्योंकि स्वयं हमारे संविधान द्वारा दस वर्ष की अवधि के अन्दर व्यापक-आवश्यक प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से अशक्त वर्गों को शुल्क देने से मुक्ति देकर तथा छात्रवृत्तियां आदि प्रदान करके उनके साथ विशिष्ट व्यवहार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयत्न को उदारतापूर्वक सहायतार्थ अनुदान देकर प्रोत्साहित किया गया है। चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग में व्यवसायिक अध्ययन के हेतु आरम्भ में राजस्थान पूर्णरूपेण बाह्य संस्थाओं पर निर्भर करता था। प्रसन्नता का विषय यह है कि अब यह कमी, जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज तथा जोधपुर में एक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करके, पूरी कर दी गई है।

16. चिकित्सा सहायता तथा जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण यंत्र का ही पुनरुद्धार करने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उनमें से एक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य की दो शाखाओं को मिलाकर एक इकाई का रूप देना है जैसा कि साधारणतया समस्त प्रगतिशील राज्यों में किया जाता है। भूतपूर्व राज्यों से हमें कुछ यथार्थ रूप से सुन्दर संस्थाएँ तथा कर्मचारी वर्ग प्राप्त हुआ है, जिसकी भारत के किसी भी भाग के सर्वोत्तम से सफलता के साथ तुलना की जा सकती है। इसके साथ साथ यह सत्य है कि ये चिकित्सीय सुविधाएँ प्रायः नागरिक-क्षेत्रों तक ही सीमित रही है, जब कि देहाती भागों की किसी हद तक उपेक्षा हुई है। सरकार की मुख्य

आकांक्षाओं में से एक इन सुविधाओं को ग्रामों तक प्रसारित करना है। चिकित्सा की हमारी स्वदेशीय पद्धति सरकार के कार्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है तथा एक पृथक आत्म-निर्भर संगठन का धीरे-धीरे निर्माण हो रहा है।

17. एक अन्य प्रधान समस्या, जिसे हमें राजस्थान में हल करना है, यातायात (कम्युनिकेशन) का प्रश्न है। हमने राजस्थान के समस्त भागों में, जहां यातायात के साधनों का अभाव है, सड़कों का जाल बिछाने के हेतु पहले ही योजनाएँ तैयार कर ली हैं। आर्थिक कठिनाई को दृष्टि में रखते हुये जिसका कि हमें सामना करना पड़ रहा है, यह कार्य स्वभावत: हमें धीरे-धीरे क्रमपूर्वक करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सरकार का अन्तिम लक्ष्य सड़क यातायात की इस समस्या को सदैव के लिये ही हल करना है।

18. राजस्थान जैसे स्थान में सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाला अन्य मद, जल प्रदाय का है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां उसी स्थान पर पीने के लिये भी जल प्राप्य नहीं है बल्कि कई मीलों को दूरी से लाना पड़ता है। फिल्टर किया हुआ पानी केवल जयपुर और जोधपुर में ही प्राप्य है। जल-प्रदाय की विभिन्न योजनाएँ नगर और देहात दोनों के लिये ही बना ली गई हैं और यथा समय उनकी अभिपूर्ति भी की जायगी। जल प्रदाय की योजना में, जैसी कि बनाई गई है, साढे पाँच करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और इस योजना में बाईस जिलों के प्रधान स्थान और 15 अन्य नगर सम्मिलित किये गये हैं। कुछ धनराशि, योजना आयोग द्वारा देहाती क्षेत्रों में जल-प्रदाय की उन्नति के लिये भी प्रदान की गई है।

19. आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं में विद्युत ने एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है। शक्ति-उत्पादक केन्द्र राजस्थान में अनेकों स्थानों पर विद्यमान हैं लेकिन इन सब में महत्त्वपूर्ण जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के हैं। युद्ध के पश्चात् मुख्य सामान की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण, ये केन्द्र, जो अत्यधिक रूप से निकृष्ट हो गये थे, उन्नत एवं प्रतिस्थापित नहीं किये जा सके हैं। फिर भी गत दो वर्षों में इस सम्बन्ध में पर्याप्त उन्नति की गई है। जबकि कुछ स्थानों पर पावर-स्टेशनों की सामर्थ्य और अधिक बढ़ाई जा रही है, अन्य स्थानों पर नवीन शक्ति-उत्पादक-यंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

20. सिंचाई के क्षेत्र में भी राजस्थान का प्रमुख स्थान है। सन् 1928 से बीकानेर के बालुकामय ऊसरों के विशाल भू-भागों की सिंचाई हो रही है। इस कार्य के लिये राजस्थान की जनता बीकानेर के दूरदर्शी व महान् नरेश-स्वर्गीय महाराज श्री गंगासिंह जी की आभारी है। राजस्थान में प्रारम्भ की गई नहर द्वारा अनवरत सिंचाई की यह प्रथम योजना है और अब इससे सात लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। भाखरा-बांध-योजना में भी हमारा हिस्सा है जिसके द्वारा अंतत: राजस्थान में 10 से 12 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, और उसमें हमें औद्योगिक शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी।

21. सबसे महत्त्वपूर्ण योजना, जिसमें राजस्थान और मध्य भारत दोनों को अभिरुचि है, चंबल घाटी विकास-परियोजना है, जो एक बहुमुखी योजना है। इस योजना की पूर्ण लागत 48 करोड़ अनुमानित की गई है। इसमें तीन बांध और एक स्रोत होगा। प्रारम्भिक अनुसंधान समाप्त कर लिये गये हैं तथा इस परियोजना के पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। योजना-आयोग के निर्देशों के अंतर्गत एक संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन मध्य भारत और राजस्थान की सरकारों द्वारा तैयार किया जा रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि 2 लाख एकड़ भूमि की 1954-55 में सिंचाई होने लगेगी जो धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त होगी तथा 1960 तक, जब योजना परिपूर्ण होगी, ऐसी आशा की जाती है कि यह वृद्धि 12 लाख एकड़ से भी बढ़ जायेगी। इस योजना से भी 2,00,000 किलोवाट औद्योगिक शक्ति का उत्पादन होगा।

22. शेष भारत की तरह राजस्थान आवश्यक रूप से एक कृषि प्रधान तथा कुछ सीमा तक पशु-पालक राज्य है। जिस प्रकार भोजन के बिना जीवन धारण करना अचिंत्य है उसी तरह औद्योगीकरण की कुछ मात्रा के बिना सौख्य पूर्ण अस्तित्व एवं उच्चस्तर का जीवन अकल्पनीय है। सरकार, राज्य में कृषि की दशा में सुधार तथा उद्योग और व्यवसाय की उन्नति के लिये पूर्ण ध्यान देती रही है। रियायतों व सुविधाओं, सुदक्ष व्यक्तियों अथवा समितियों के द्वारा टैक्नीकल सलाह व सहायता के रूप में संपूर्ण संभव प्रोत्साहन दने की नीति का अनुसरण किया गया है। खनिज परामर्श-दात्री परिषद् की स्थापना 1951 की औद्योगिक एवं घरेलू उद्योगों की प्रदर्शनी, भेड़ों और ऊन के सुधार के लिये किये गये कार्य का प्रदर्शन, सरकार द्वारा उठाये गये कुछ क्रियात्मक कदम हैं। हमारी आर्थिक नीति का अन्तिम लक्ष्य प्रगतिशील औद्योगीकरण द्वारा सब के लिये पर्याप्त काम-धंधा एवं सामान्य व्यक्ति के लिये उच्चतर जीवन स्तर सुलभ करना है। वर्तमान समय में राजस्थान कपड़े, चीनी, सीमेण्ट, लिग्नाइट, अभ्रक आदि का उत्पादन कर रहा है और भारत के आधार-भूत उद्योगों में से एक अर्थात् सिन्द्री की फर्टीलाइजर फैक्ट्री को बृहत् परिमाण में उच्च श्रेणी की खड़िया मिट्टी देकर एक महत्त्वपूर्ण सहायता कर रहा है। विभाजन के साथ वे प्रमुख उद्गम-स्थान, जहां से खड़िया मिट्टी निकाली जाती थी, भारत के लिये समाप्त हो गये लेकिन इस खाई को राज्य के बीकानेर और जोधपुर डिवीजनों ने सफलतापूर्वक प्रवेश करके पाट दिया जहां तक सीमेण्ट का सम्बन्ध है, लाखेरी की निर्माणी (फैक्ट्री) भारत के वृहत् उत्पादकों में से एक है।

23. ऊन के उत्पादन में हमारी स्थिति बहुत ही विशिष्ट है। भारत के सम्पूर्ण जन-उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग, राजस्थान से प्राप्त होता है। प्रगतिशील उपायों द्वारा नस्ल की उन्नति, वर्गीकरण तथा बाल कटाई करके तथा इनका एक व्यवसाय आरम्भ करके केवल कच्चे माल के उत्पादक ही न बने रह कर, हम राज्य के धन में वृद्धि कर सकते हैं।

24. सरकार एक ऐसी नीति का अनुसरण करेगी जिसके द्वारा राजकीय एवं निजी उद्यम, उद्योग के क्षेत्र में, एक दूसरे को अनुपूरित एव संपूरित करेंगे और जो भी प्रोत्साहन, इस क्षेत्र में इस निजी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिये सहायतार्थ चाहा जायेगा और संभव होगा, शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध होता रहेगा।

25. एक कुशल एवं संतुष्ट श्रमिक-वर्ग किसी सफल एवं उन्नतिशील उद्योग की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। केन्द्रीय विधान मंडल के निर्माणी एवं श्रम-सम्बन्धी समस्त महत्त्वपूर्ण कानून यथा – फैक्ट्री एक्ट, वर्कमैन्स कम्पेनसेशन एक्ट, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आदि राजस्थान में लागू कर दिये गये हैं। हम आशान्वित हैं कि उद्योगों में प्रबन्धकों और श्रमिकों के मध्य के झगड़े, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के आश्रय से पूर्णतः समाप्त नहीं होते तो कम से कम अत्यधिक न्यून अवश्य हो जावें। हमें विधान के इस भाग का संतोषप्रद परिणामों के साथ उपयोग करने का पहले ही अवसर प्राप्त हो चुका है। फिर भी कालान्तर में आर्थिक ढांचे के इन दो महत्त्वपूर्ण तत्वों के मध्य की खाइयां, निर्णय और पंच निर्णय द्वारा समाप्त हो जायेगी।

26. मेरी सरकार भारत के योजना आयोग के कार्य का संलग्नता से अनुसरण कर रही है तथा उससे सम्पर्क रख रही है। योजना के मसविदा के अनुसार, जो पहले ही प्रकाशित हो गया है, राजस्थान के लिये आगामी पाँच वर्षों में पन्द्रह करोड़ रुपया व्यय किया जाना है। इसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली रकम लगभग नो करोड़ रुपया होगी। मेरी सरकार पंच वर्षीय योजना में चम्बल-जल विद्युत योजना को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न कर रही है। उस दशा में राजस्थान के विकास के हेतु नियोजित कोष में पर्याप्त वृद्धि हो जायगी। जो योजनाएँ अब तक तैयार की गई है उनमें विकास की विभिन्न दिशाएँ जैसे सिंचाई, विद्युत, चिकित्सीय सहातया एवं जन स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, पशु-सहायत्ता, घरेलू उद्योग धन्धे, वृक्षारोपण, शिक्षा, श्रम प्रशासन तथा कल्याण, परिगणित वर्गों की उन्नति और जिन स्थानों में पानी की कमी है उन स्थानों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करना सम्मिलित है। योजनाओं को भारत के योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेने पर उन्हें पंचवर्षीय योजना में निहित विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिये एक उपयुक्त-मशीनरी का निर्माण किये जाने का प्रश्न उठाया जायेगा।

27. सरकार विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन की ओर ध्यान दे रही है। पूर्ववर्ती कुछेक रियासतों में हमने स्थानीय प्रशासनों में नगर-पालिकाओं, जिला बोर्डों और पंचायतों के रूप में अच्छी उन्नति की थी। स्थानीय संस्थाओं की प्रणाली एवं नियंत्रण को एकीकृत करने के लिये गत दो वर्षों में पहले से ही कार्यवाही की गई है जिससे वे सम्पूर्ण राज्य में न्यूनाधिक समान नीति का ही अनुसरण करें। हमारे संविधान में आदेशात्मक सिद्धान्त यह है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने की कार्यवाही राज्य द्वारा की जावेगी और उनको ऐसी शक्तियाँ तथा सत्ता समर्पित की जावेगी, जो उनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकने

से समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों। इस प्रण को पूर्ण करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। मेरी सरकार का ध्येय यह है कि पाँच हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में एक नगरपालिका और एक हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में ग्राम-पंचायतें हों। इन मामलों में से कुछेक मामलों के सम्बन्ध में कानून पहिले से ही लागू कर दिये हैं और सरकार चाहती है कि इस नीति को कार्यरूप में परिणत करने के लिये आवश्यक विधान को यथा सम्भव लागू कर दिया जावे।

28. राज्य के कस्टम तथा एक्साइज सम्बन्धी प्रबन्ध का भी मुझे कुछ दिग्दर्शन कराना चाहिए। पहिला इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि दूसरा, क्योंकि इस राज्य और शेष भारत के मध्य चुंगी की बाधाएँ थोड़े समय में ही हटा दी जायेंगी। यह सन्तोष का विषय है कि सरकार आबकारी प्रशासन में एक-सी ही प्रणाली को पहले से ही लागू करने में सफल हो सकी है। आबकारी प्रशासन का महत्त्वपूर्ण भाग मादक तथा अन्य दवाओं के सम्बन्ध में राज्य की नीति से संबंधित है। न केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही वरन् संसार की समस्त शिष्ट सरकारों द्वारा अंगीकार की गई नीति के अनुसरण में हमारी नीति अधिकतम करों तथा मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, मादक तथा अन्य दवाओं के न्यूनतम विक्रय की है। राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार को 'मद्य निषेध' के विवादास्पद प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करना संभव नहीं हो सका है। संघीय आर्थिक एकीकरण के इकरारनामे के अनुसार अन्तर्देशीय स्थल आयात-निर्यात-कर व्यवस्था शनैः-शनैः सन् 1955, तक समाप्त हो जायगी। हम आमदनी में होने वाली इस कमी को किसी सीमा तक कृषि सम्बन्धी आमदनी पर आय कर तथा बिक्री कर लगा कर पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए कानून जारी किया जावेगा।

29. यह अनुभव करके संतोष होता है कि महान विप्लवों में से एक विप्लव का, जिसने एक बार शासन को अपने आधारभूत स्थान से अव्यवस्थित कर देने तथा उलट देने की धमकी दी थी, उसके ऊपर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया गया है। मेरा संकेत विभाजन के बाद विस्थापित व्यक्तियों के बहुसंख्या में होने वाले निर्वासन से है। ऐसे लगभग चार लाख व्यक्ति राजस्थान में बस गये हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या या तो कृषि में लग गई है या उनके लिये अन्य उपयोगी तथा लाभदायक व्यवसाय खोज निकाले हैं। वास्तव में अब यह अवस्था आ गई है जब हम विस्थापितों को राज्य के राजनैतिक अंग में एक पृथक एवं भिन्न भाग समझना बन्द कर सकते हैं क्योंकि वे अब यहां की जनसंख्या में संविलीन हो गये हैं और समाज के उपयोगी तथा मूल्यवान सदस्य बन गये हैं। सरकार इन पुरुषार्थियों को सामान्य जीवन में संविलीन कर देने में कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखेगी।

30. हमारे संविधान में जनता के निर्बल तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की गई है और इन प्रावधानों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रत्येक राज्य के सिर पर उत्तरदायित्व रखा गया है। जिन क्षेत्रों को, जिन जातियों को तथा वर्गों को, अनुसूचित

क्षेत्र, अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित वर्ग की तरह व्यवहार में लाना है उनकी राष्ट्रपति महोदय ने पहले से ही घोषणा कर दी है। विशेषत: उनके तथा सामान्यत: राज्य की जनता के समस्त पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए, राज्य के राजप्रमुख होने के नाते, मेरे ऊपर विशिष्ट जिम्मेदारी तथा दायित्व है विशेषत: गत दो वर्षों में इस सम्बन्ध में हमने एक बलवती नीति का पालन किया है। हमारा उद्देश्य हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों के एक निस्सहाय समाज का निर्माण करना नहीं है वरन् गौरव तथा आत्म-सम्मान रखने वाले बुद्धिमान तथा महनती नागरिकों का, जो एक वर्गहीन तथा वर्गहीन समाज की स्थापना करने में अपना हाथ बटाने को उद्यत हों। इन व्यक्तियों में फीस माफ करके, छात्रवृत्तियों, शिक्षा की विशेष व्यवस्था जैसे जिन स्थानों में ये लोग रहते हैं उनमें विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, छात्रावासों आदि की व्यवस्था आदि द्वारा शिक्षा तथा ज्ञान का प्रसार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कन्याओं की शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की जा रही है। मकानों की व्यवस्था करके, कृषि फार्म-प्रणाली तथा औद्योगिक-प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं देकर उनकी दशायें सुधारने का विभिन्न योजनायें भी सरकार के सामने है। कुछ भागों में और खास कर उदयपुर डिवीजन में जहां अनुसूचित जातियों का एक बड़ा भाग रहता है यातायात के साधनों का अभाव उनको निरन्तर पिछड़ी हुई अवस्था का एक कारण है क्योंकि अब तक वे एकाकी अवस्था में रहते रहे हैं, जहां सभ्यता के सम्पर्क में आने के लिये उनकी बहुत कम अवसर प्राप्त थे। संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार ने, अनुसूचित वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लिये सरकारी नौकरियों का एक अनुपात, आरक्षित कर दिया है। इन व्यक्तियों तक सहकारिता आन्दोलन के लाभों को विस्तृत करने की एक योजना तैयार की जा रही है। यह आशा की जाती है कि इन वर्गों के व्यक्ति राज्य के राजनैतिक अंग अपना उचित स्थान प्राप्त करने के योग्य हो सकेंगे। संविधानिक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत अशपृश्यता को पहले से ही गैर-कानूनी ठहरा दिया गया है। हम इस प्रावधान को कार्यरूप में परिणत होते देखने के लिये दृढ़-प्रतिज्ञ हैं।

31. मुझे भय है कि मैं कुछ विस्तार के साथ कह गया हूँ, किन्तु मेरा विचार है कि जिस प्रकार हमारी सरकार राज्य के मामलों को संचालित करती रही है उन प्रणाली से तथा भविष्य की अपनी योजनाओं से मैं आपको अवगत करा दूँ। आप यहां पर जनता के मतानुसार एक भारी भार को उठाने के लिये आये हैं। इतिहास में प्रथम बार हम प्रजातंत्रात्मक शासन के ऊंचे तथा श्रेष्ठ साहसिक कार्य को वहन कर रहे हैं। पूर्णरूपेण प्रजातत्रात्मक शासन के ऊंचे तथा श्रेष्ठ साहसिक कार्य को वहन कर रहे हैं। पूर्णरूपेण प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति में हमारा यह प्रथम अनुभव होने के कारण मैं आप सब महानुभावों से इस सभा के सदस्य होने के नाते आये हुये कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का पालन करने में इस प्रकार व्यवहार करने की आशा रखता हूँ कि आप लोग सराहनीय परम्परा तथा ठोस रीतियों की स्थापना कर सकें जिससे स्वतंत्र तथा गणतंत्रात्मक भारत के एक सम्पूर्ण और महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में हमारा राज्य मान तथा मर्यादापूर्ण स्थान प्राप्त कर सके।

32. सरकार न केवल अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की ही, वरन् अपनी कार्यों तथा भूलों की भी समस्त रचनात्मक आलोचना का सदैव स्वागत करेगी। हमारे क्षीण साधनों तथा अमित व्यवस्थाओं के कारण उपस्थित होने वाली समस्त कठिनाइयों के प्रति वह पूर्णत: जागरूक है। परन्तु जैसे प्रतिबन्ध आज विद्यमान हैं उनको ध्यान में रखते हुये इन समस्याओं का शक्ति और संकल्प के साथ हल करना है और जहां वे अपनी ओर से शासन सुधार अथवा लोक सेवा की और बढ़ाने वाले प्रत्येक सुझाव के महान् मूल्य को आंकेंगे, वहां मैं इस सभा के प्रत्येक अंग से अबाध रूप से शासन को वास्तव में 'जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिये होने वाली सरकार' बनाने में अपना सहयोग देने की आशा रखता हूँ। मैं आपको उस प्रतिज्ञा का स्मरण करा देना चाहता हूँ जो आपने, जिन कर्त्तव्यों पर आप आरूढ़ होने वाले हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये ली थी। कतिपय विचारों की, जो मेरी दृष्टि में मौलिक हैं महत्त्व देना अनुचित न होगा। राज्य तत्व वर्गों का उच्छृंखल संग्रह मात्र नहीं है, जिनके हित परस्पर विरोधी हैं, लेकिन व्यष्टि से ही सुघटित समष्टि का निर्माण होता है एवं व्यष्टि का कल्याण प्रत्येक वर्ग को कुशल-क्षेम के साथ सम्बद्ध है। गणतंत्र का तात्पर्य कैसी भी प्रकार के केवल शासन मात्र से ही नहीं है वरन् उसमें अन्तरात्मा की भावना भी उपलक्षित होती है। उसका सारतत्व, मेल-जोल, सहिष्णुता, पारस्परिक अनुकूलन तथा पारस्परिक भेद-भावों को न्यायप्रियता, सौहार्द्रता एवं उदारता की भावना से समाधान करने की तत्परता प्रदर्शित करने में निहित है। इस सभा के भीतर तथा बाहर आपके विचार तथा कार्य देशभक्ति की भावना से प्रभावित होने चाहिये न कि दलबन्दी की भावना से। राजस्थान में एक युग समाप्त हो गया है और दूसरा प्रकाश में आ रहा है। इस नये युग में आप वे संरक्षक है जिनकी संरक्षता में इस प्राचीन किन्तु साथ ही नवजात राज्य के हित सुपुर्द किये गये हैं। परमात्मा आपके विचारों में आपका भली-भाँति पथ-प्रदर्शन करे और राजस्थान में समृद्धि तथा शांतिपूर्ण प्रगति की ओर इस नये युग का प्रारम्भ करने में हमको भी वैसा ही पथ-प्रदर्शन प्राप्त हो।

✪✪✪